

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) कोर्ट केस-05/2008/राँची, दिनांक

आदेश

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- '22/नि०सि०(ओ०) 17-01/2000-155 दिनांक- 26.02.2005 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार साह, तत्कालीन कनीय अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल दाउदनगर के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया एवं जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०- 786 दिनांक- 01.06.2000 द्वारा इस आरोप के लिए श्री साह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री साह के विरुद्ध निम्नलिखित गठित आरोप को प्रमाणित पाया गया -

1. विभिन्न निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य में यदि स्थल पर भंडारण का कोई प्रबंध करना संभव नहीं था, तो प्रतिदिन के आकलन के आधार पर ही सीमेंट निर्गत करना चाहिए था जो नहीं किया गया। अतः भंडारण के अभाव में एक दिन के आवश्यकता से अधिक सीमेंट निर्गत करने हेतु दोषी पाये गये हैं।

2. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के साथ श्री मिथिलेश कुमार साह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री साह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री साह, कनीय अभियंता के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाया गया -

सीमेंट को स्थल पर कार्य की आवश्यकता अनुसार निर्गत नहीं कर एकमुस्त सीमेंट संवेदक को निर्गत करना।

3. इस प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2590 दिनांक- 23.06.2005 द्वारा श्री मिथिलेश कुमार साह, को निम्नलिखित दण्ड दिया गया :-

(i) निन्दन वर्ष 1999-2000

(ii) देय प्रोन्नति का पाँच वर्षों तक रोक।

(iii) कार्य प्रमण्डल के अधीन पाँच वर्षों तक पदस्थापन पर रोक।

4. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री मिथिलेश कुमार साह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में वाद WP(S) No. 1703/2008 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इस वाद में दिनांक- 14.06.2017 को पारित न्याय निर्णय में विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2590 दिनांक- 23.06.2005 को निरस्त कर दिया गया।

5. उक्त पारित न्याय निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में L.P.A दायर करने हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड का परामर्श लिया गया, जिसमें उनके द्वारा परामर्श दिया गया कि -

"..... It shall not be appropriate and fair on the part of State Govt. to challenge the order /Judgement dated 14.06.17 passed by the Hon'ble High Court in WP(S) No. 1703/2008"

6. अतः वाद WP(S) No. 1703/2008 में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक- 14.06.2017 को पारित न्याय निर्णय एवं महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा दिये गये उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2590 दिनांक- 23.06.2005 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

7. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, सुवर्णरेखा भवन, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, ईचा-गालूडीह, आदित्यपुर, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :2331.....राँची/दिनांक 23-05-18.....

प्रतिलिपि :- श्री एस०एन०दास, सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री मिथिलेश कुमार साह/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव